



UNIVERSITY NEWS 24 AUGUST 2026

TIMES OF INDIA

LU allows under grad honours for students below 7.5 CGPA

TIMES NEWS NETWORK

Lucknow: Lucknow University has relaxed the eligibility criteria for its fourth-year undergraduate programme, allowing students with a CGPA below 7.5 to pursue UG Honours in the university.

Earlier, only students securing a CGPA of 7.5 or above after six semesters were eligible to continue into the fourth year. The university has now introduced a separate UG Honours category, enabling students below the 7.5 CGPA threshold to complete the fourth year and obtain a four-year undergraduate degree.

In accordance with NEP 2020 and the University Grants Commission's Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes, students completing three years of study will now have two options in the fourth year: UG Honours and UG Honours with Research. Under the UG Honours pathway, students will not be required to undertake a dissertation. Instead, the mandatory 12-credit research component will be replaced by advanced coursework in the student's major subject.

SWATANTRA BHARAT

पाषाण उपकरणों से धातु युग तक मानव विकास और धरोहर संरक्षण के कानूनों पर विशेषज्ञों ने दी जानकारी

स्वतंत्र भारत लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय द्वारा आयोजित पुरातत्व अभिरुचि पाठ्यक्रम के तृतीय दिवस पर मानव सभ्यता के विकास और पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर दो व्याख्यान आयोजित किए गए। कार्यक्रम में करीब 100 प्रतिभागियों ने प्रत्यक्ष तथा 50 प्रतिभागियों ने ऑनलाइन माध्यम से सहभागिता की। प्रथम सत्र में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. अनिल कुमार ने 'पाषाण उपकरणों से धातु तक : प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का विकास' विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने मानव सभ्यता के प्रारंभिक विकास और प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की क्रमिक यात्रा पर विस्तार से प्रकाश डाला। प्रो. अनिल कुमार ने पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाण काल से लेकर धातु युग तक मानव जीवन में आए तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक बदलावों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पाषाण उपकरणों से शुरू हुई मानव की तकनीकी यात्रा ने आखेटक एवं खाद्य-संग्रहक जीवन से कृषि, पशुपालन, स्थायी निवास, मृदाई निर्माण और धातुओं के प्रयोग तक मानव समाज को पहुंचाया। उन्होंने कहा कि कांस्य और लौह के प्रयोग से उत्पादन, कृषि, शिल्प और सामाजिक संगठन को नई गति मिली। पाषाण से धातु तक का विकासक्रम मानव की बुद्धि, कौशल, नवाचार और सांस्कृतिक विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण है। द्वितीय सत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व अधीक्षण पुरातत्वविद इंद्र प्रकाश ने 'प्राचीन धरोहर कानून : स्मारकों एवं स्थलों के लिए कानूनी प्रावधान' विषय पर प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण से जुड़े संवैधानिक

प्रावधानों की जानकारी देते हुए विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 49 और अनुच्छेद 51(एफ) का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक स्मारकों और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का भी दायित्व है। उन्होंने प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 तथा पुरावशेष एवं कला निधि अधिनियम, 1972 सहित प्रमुख कानूनों की जानकारी दी। इंद्र प्रकाश ने संरक्षित स्मारकों एवं पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा, रखरखाव के नियमन, पुरावशेषों के संरक्षण तथा उनकी चोरी और तस्करी की रोकथाम से संबंधित कानूनी प्रावधानों पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारकों के निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण तथा पुरावशेषों एवं कला निधियों के अवैध निर्यात सहित कानूनों का उल्लंघन दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि धरोहरों के संरक्षण के लिए कानूनों का प्रभावी और सख्त अनुपालन तथा जनसहभागिता आवश्यक है। सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना केवल कानूनी दायित्व नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी भी है। दोनों विशेषज्ञ वक्ताओं का निदेशालय की निदेशक रेनु द्विवेदी ने पौधा और स्मृति-चिह्न प्रदान कर स्वागत एवं सम्मान किया। कार्यक्रम के अंत में निदेशक ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन सहायक पुरातत्व अधिकारी डॉ. मनेज कुमार यादव ने किया। इस अवसर पर विभाग के बलिहारी सेंट, अभयराज सिंह, अनिल सिंह, संतोष कुमार सिंह, आशीष, अकील, अभिषेक, अनिल, दरियाब, लवकृष्ण सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी और प्रतिभागी मौजूद रहे।

SWATANTRA BHARAT

लखनऊ विश्वविद्यालय: यूजी ऑनर्स व रिसर्च के दो विकल्प

स्वतंत्र भारत संवाददाता लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और यूजीसी के पाठ्यक्रम एवं क्रेडिट ढांचे के अनुरूप चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के चौथे वर्ष में विद्यार्थियों को दो शैक्षणिक विकल्प देने का निर्णय लिया है। छात्र अब यूजी ऑनर्स अथवा यूजी ऑनर्स विद रिसर्च में से किसी एक का चयन कर सकेंगे। यूजी ऑनर्स के तहत विद्यार्थी शोध प्रबंध के स्थान पर उन्नत पाठ्यक्रमों के माध्यम से निर्धारित 12 क्रेडिट पूरे करेंगे। इस मार्ग से 7.5 से कम सीजीपीए वाले विद्यार्थी भी चौथा वर्ष पूरा कर 160 क्रेडिट की चार वर्षीय डिग्री हासिल कर सकेंगे। वहीं 7.5 या उससे अधिक सीजीपीए वाले पात्र क्रेडिट का शोध प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। कुलपति प्रो. जे.पी. सैनी ने कहा कि यह व्यवस्था विद्यार्थियों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुरूप उन्नत अध्ययन या शोध का अवसर देगी। व्यवस्था के विस्तृत नियमों के लिए प्रो. मनुका खन्ना के नेतृत्व में सात सदस्यीय समिति गठित की गई है।

एल्यू: 5 यूपी एयर स्क्वाड्रन एनसीसी के लिए कला नामांकन अभियान

स्वतंत्र भारत संवाददाता लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में 5 यूपी एयर स्क्वाड्रन एनसीसी के नए कैडेटों के चयन एवं नामांकन के लिए अभियान आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कुल 135 विद्यार्थियों, जिनमें 63 छात्राएं और 72 छात्र शामिल रहे, ने नामांकन प्रक्रिया में सहभागिता की। चयन के प्रथम चरण में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा हुई, जिसमें 1.6 किलोमीटर दौड़, सिट-अप और पुश-अप कराए गए। इसके बाद पात्र अभ्यर्थियों की सामान्य योग्यता एवं एनसीसी प्रशिक्षण के प्रति उपयुक्तता का आकलन करने के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई। विभिन्न चरणों में सफल अभ्यर्थियों को आगामी साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अभियान में फ्लाईंग ऑफिसर डॉ. नागेन्द्र कुमार मौर्य, जूनियर वारंट ऑफिसर रहमान सहित 5 यूपी एयर स्क्वाड्रन एनसीसी के पीआई स्टाफ मौजूद रहे। अधिकारियों ने प्रक्रिया के सफल संचालन में योगदान दिया।

VOICE OF LUCKNOW

यूजी ऑनर्स विद रिसर्च के साथ एक अतिरिक्त यूजी ऑनर्स का मिलेगा विकल्प

विशेष संवाददाता (vol)

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 'स्नातक कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट मानदंड की मूल भावना के अनुरूप अपने चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अकादमी सुधार किया है। विश्वविद्यालय अपने छात्रों को 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के चौथे वर्ष में छात्रों को 'यूजी ऑनर्स विद रिसर्च' के साथ-साथ एक अतिरिक्त 'यूजी ऑनर्स' मार्ग का विकल्प प्रदान करने जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को व्यापक अकादमी प्रदान करना तथा उन्नत विषयगत अध्ययन को खोलना है।

प्रस्तावित परिवेश के अंतर्गत, चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के पहले तीन वर्ष पूरे करने वाले छात्र चौथे वर्ष में अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार दो चरणों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। यूजी ऑनर्स के इस मार्ग में उन छात्रों को अवसर देगा जो शोध प्रबंध (शोध प्रबंध/थीसिस) नहीं करना चाहते, बल्कि अपने प्रमुख विषय में

● विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के लिए सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित

गहन व उन्नत अध्ययन करना चाहते हैं। 12 क्रेडिट का शोध घटक, इस मार्ग में शोध प्रबंध के स्थान पर उन्नत पाठ्यक्रम से पूरा किया जाएगा। इसके माध्यम से 7.5 से कम सीजीपीए वाले छात्र भी चौथे वर्ष पूरा कर सकते हैं और 160 क्रेडिट की 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। यूजी ऑनर्स विद रिसर्च (यूजी ऑनर्स विद रिसर्च) यह मार्ग यथावत जारी रहेगा और छात्रों को मिलाकर ग्रेजुएशन शोध का अवसर देगा। पहले छह सेमेस्टर में 7.5 या उससे अधिक सीजीपीए (75% अंक) प्राप्त करने वाले पात्र छात्र संकाय सदस्य के मार्गदर्शन में 12 क्रेडिट का शोध प्रोजेक्ट/प्रबंध पूरा करेंगे। लविवि के कुलपति प्रो. जेपी सैनी के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मूल भावना उच्च शिक्षा को लचीला, समावेशी और विद्यार्थी-केंद्रित बनाना है। लखनऊ विश्वविद्यालय छात्रों की व्यक्तिगत क्षमताओं और भविष्य के लक्ष्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। चौथे वर्ष में 'यूजी ऑनर्स' और 'यूजी

ऑनर्स विद रिसर्च' दोनों विकल्पों का समावेशन विद्यार्थियों को उनकी पसंद के अनुसार उन्नत विषय ज्ञान अथवा मौलिक अनुसंधान में विशेषज्ञता प्राप्त करने का समान अवसर देगा। 7.5 से कम सीजीपीए वाले विद्यार्थियों को भी चौथे वर्ष का अवसर मिलने से उनके लिए उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और वैश्विक करियर के नए द्वार खुलेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन इस नवीन व्यवस्था के विस्तृत शैक्षणिक विनियम, पात्रता मानदंड, उन्नत पाठ्यक्रम और कार्यान्वयन दिशानिर्देश उपयुक्त वैधानिक निकायों के माध्यम से शीघ्र जारी करेगा। इसके लिए एक सात सदस्यीय विशेषज्ञ समिति प्रो. मनुका खन्ना के नेतृत्व में गठित की गई है जो शीघ्र ही संपूर्ण संरचना और दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दोनों ही मार्ग एक ही 4-वर्षीय स्नातक ढांचे के पूरक विकल्प हैं, जो कुल 160 क्रेडिट की 4-वर्षीय स्नातक डिग्री प्रदान करेंगे। इसके साथ ही विश्वविद्यालय रिसर्च मार्ग के लिए सभी आवश्यक शैक्षणिक और शोध अवसर-रचना की उपलब्धता भी निरंतर सुनिश्चित कर रहा है।